भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 25/2019-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 6 जुलाई, 2019

साक्षी, निःसाधारण (अ) -- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैररफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), साक्षी, निःसाधारण सं. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् --

उक्त अधिसूचना में,

(1) सारणी में--

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;136.&quot;</td>
<td>2612 10 00</td>
<td>यूरेनियम अपक्ष और सांद्रण, नाभिकीय शक्ति के उत्पादन के लिए</td>
<td>शून्य</td>
<td>-</td>
<td>-&quot;;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(8) क्रम सं. 145 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(9) क्रम सं. 147 के सामने, संभ (3) में "सहित" शब्द के स्थान पर "के सिवा" शब्द रखे जाएंगे;
(10) क्रम सं. 147 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्--

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;147क.&quot;</td>
<td>2710</td>
<td>नेप्शा</td>
<td>4%</td>
<td>-</td>
<td>-&quot;;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(11) क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातः-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;182. क्र.</td>
<td>2844 20 00</td>
<td>सभी माल, नामिकेय शक्ति के उत्तरदाय के लिए</td>
<td>शून्य</td>
<td>-</td>
<td>-&quot;;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(12) क्रम सं. 198 के सामने, संख्या (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "शून्य" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(13) क्रम सं. 202 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पक्षपात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;202क्र.</td>
<td>2910 20 00</td>
<td>मेथाइलआक्सीरेन (प्रोपिलेन आक्साइड)</td>
<td>5%</td>
<td>-</td>
<td>-&quot;;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(14) क्रम सं. 216 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पक्षपात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;216क्र.</td>
<td>कोई अध्याय</td>
<td>कृत्रिम किडनी के विनिमय में उपयोग के लिए कच्ची सामग्री, पुर्ण या साधित</td>
<td>शून्य</td>
<td>-</td>
<td>&quot;9&quot;;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(15) क्रम सं. 249क के सामने, संरक्षण (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, “सभी माल” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(16) क्रम सं. 250क के सामने, संरक्षण (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “सभी माल” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(17) क्रम सं. 252 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(18) क्रम सं. 262 के सामने, संख्या (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, "3901 से 3915 (3903, 3904 और 3908 के सिवाय)" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;
(19) क्रम सं. 267 के सामने, संख्या (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “सभी माल, विनायल क्लराइड के पालिमर से मिहून” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(20) क्रम सं. 282 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(21) क्रम सं. 283 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(22) क्रम सं. 294 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(23) क्रम सं. 295 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(24) क्रम सं. 297 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(25) क्रम सं. 302 के सामने, संख्या (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, “5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(26) क्रम सं. 306 के सामने, संख्या (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(27) क्रम सं. 310 के सामने, संख्या (4) की प्रविष्टि के स्थान पर “2.5%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(28) क्रम सं. 335 के सामने, संख्या (3) की प्रविष्टि के स्थान पर “सभी माल, मास्टर स्लेब और क्रम सं. 337 पर उल्लिखित माल से मिहून” प्रविष्टि रखी जाएगी;
(29) क्रम सं. 336 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(30) क्रम सं. 341 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पक्षपात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;341क्र.</td>
<td>कोई अध्याय</td>
<td>सिलिका के पूर्व रूप के विनिमय के</td>
<td>शून्य</td>
<td>-</td>
<td>&quot;9&quot;;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
लिए निम्नलिखित माल, अर्थातः:-
(i) रिफ्रेजरेटेड हॉटलियम ब्र्य (2804);
(ii) जमीनियम टेटरा क्लोराइड (2812);
(iii) सिलिका टेटरा क्लोराइड (2812);
(iv) सिलिका ट्यूब (7002);
(v) सिलिका राइड (7002);

(31) क्रम सं. 354 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविवि के स्थान पर “11.85%” प्रविवि रखी जाएगी;
(32) क्रम सं. 355 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविवि के स्थान पर “11%” प्रविवि रखी जाएगी;
(33) क्रम सं. 356 के सामने, स्तंभ (4) में “10%”, दोनों प्रविवि के स्थान पर जहां वे आते हैं, “12.5%” प्रविवि रखी जाएगी;
(34) क्रम सं. 357 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविवि के स्थान पर “12.5%” प्रविवि रखी जाएगी;
(35) क्रम सं. 358 और उससे संबंधित प्रविवि के लोप किया जाएगा;
(36) क्रम सं. 359 और उससे संबंधित प्रविवि के लोप किया जाएगा;
(37) क्रम सं. 363 और उससे संबंधित प्रविवि के लोप किया जाएगा;
(38) क्रम सं. 366 और उससे संबंधित प्रविवि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविवि के पश्चात की जाएगी, अर्थातः:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;366.</td>
<td>72 (7202 60 00, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7224, 7225 11 00, 7225 30 90, 7225 40 19, 7225 50, 7225 99 00 या 7229 के सिवाय) निम्नलिखित के सिवाय सभी माल:-</td>
<td></td>
<td>5%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>(i) क्रम सं. 367, 368, 369, 370, 371, 371ख, 373ख, 376 और 376ग के सामने उल्लिखित माल;</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ii) अध्याय 72 के अधीन आने वाले दोयम दर्ज के और खराब माल</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;373ख.</td>
<td>7218 सभी माल</td>
<td>7.5%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>373ख</td>
<td>7224 सभी माल</td>
<td>7.5%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>िक्रम सं. 373 और उससे संबंधित प्रविवि के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविवि के अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थातः:-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;374क.</td>
<td>7218 सभी माल</td>
<td>7.5%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>374ख</td>
<td>7224 सभी माल</td>
<td>7.5%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>क्रम सं. 374 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविवि के स्थान पर “2.5%” प्रविवि रखी जाएगी;</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>क्रम सं. 375 के सामने, स्तंभ (4) में “5%”, जहां-जहां वे आते हैं, प्रविवि के स्थान पर, “2.5%” प्रविवि रखी जाएगी;</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>क्रम सं. 376क और उससे संबंधित प्रविवि के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविवि के अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थातः:-</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>सं.</td>
<td>वर्ग</td>
<td>क्रमसं.</td>
<td>वर्ग</td>
<td>विषय</td>
<td>अंत:स्थापित</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>-----</td>
<td>-------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>376क्र.</td>
<td>493</td>
<td>7226 99 30</td>
<td>एमाफेस मिर्श धातु रिबन</td>
<td>5%</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7229</td>
<td>सभी माल, आईएनबीएआर से भिन्न</td>
<td>7.5%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>&quot;376घ.</td>
</tr>
<tr>
<td>7229</td>
<td>आईएनबीएआर</td>
<td>5%</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>&quot;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(43) क्रम सं. 390 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएँगी, अर्थात्-:

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;390क्र.</td>
<td>8105 20 10</td>
<td>कोबाल्ट मेट्स और कोबाल्ट धातुक्रम के अन्य मध्यस्तरीयता उत्पाद</td>
<td>2.5%</td>
<td>-</td>
<td>-&quot;;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(44) क्रम सं. 427 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लीप किया जाएगा;

(45) क्रम सं. 449 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएँगी, अर्थात्-:

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;449क्र.</td>
<td>8415 90 00</td>
<td>सभी माल, स्पिलिट-सिस्टम एयर कंदीशनर की भीतरी और बाहरी इकाई से भिन्न</td>
<td>10%</td>
<td>-</td>
<td>9&quot;;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(46) क्रम सं. 452 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएँगी, अर्थात्-:

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&quot;452क्र.</td>
<td>8421 39 20</td>
<td>सभी माल, केरेलाटिक कन्वर्टर से भिन्न</td>
<td>7.5%</td>
<td>-</td>
<td>-&quot;;</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(47) क्रम सं. 453 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लीप किया जाएगा;

(48) क्रम सं. 481 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित की जाएँगी, अर्थात्-:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
(49) क्रम सं. 509 के सामने, संबंध (३) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थातः
"(क) निम्नलिखित मदों से भिन्न ८५२१ ९० ९० के अधीन आने वाले डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर)/नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) के विनिर्माण के लिए पुर्ज, घटक और साधन अर्थातः
(i) पोपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड;
(ii) चार्जर या पावर एड्डेंस।
(ख) उपरोक्त (क) पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयुक्त उप-पुर्जः"
(50) क्रम सं. 511 के सामने, संबंध (३) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थातः
"(क) निम्नलिखित मदों से भिन्न, ८५२५ ८० के अधीन आने वाले सीसीटी/आईपी कैमरे के विनिर्माण के लिए पुर्ज, घटक और साधन, अर्थातः
(i) पोपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड;
(ii) चार्जर या पावर एड्डेंस।
(ख) उपरोक्त (क) पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयुक्त उप-पुर्जः"
(51) क्रम सं. 524 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थातः

<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
<th>(3)</th>
<th>(4)</th>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
</table>
| "524. 8702 या 8704 मोटरयान (वैद्युत प्रचालित यानों के लिये) (1) एक पूर्ण यान का संयोजन करने के लिए एक मोटरयान को प्राप्त करने के लिए एक मोटरयान को खरीदना यदि पूर्णरूप से नोक्ल डाउन के रूप में आयत किया जाता है जिसमें सभी आवश्यक संगठन, पूर्जे या उपसंयोजन अंतरित हैं, जिसमें,
(क) इंजन, गियर बाक्स और पारंपरिक तंत्र जो पूर्ण संयोजन स्थिति में नहीं हैं;
(ख) इंजन या गियर बाक्स या पारंपरिक तंत्र जो पूर्ण संयोजन के लिए है परंतु जो किसी चैसिस या बॉडी इंजन के लिए या पूर्ण संयोजन स्थिति में नहीं हैं। 15% नहीं है। 25% नहीं है। | | | | | | |
| संयोजन पर नहीं चढाया गया है। | (2) उपरोक्त (1) से भिन्न; | 30% | - | - |

(52) क्रम सं. 528 के सामने, स्तंभ (3) में मद (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(x) ई-ड्राइव असेबली;
(xi) ऑन बोर्ड चार्जर;
(xii) ई-कम्प्रेसर;
(xiii) चार्जिंग गन";

(53) क्रम सं. 529 के सामने, स्तंभ (6) की प्रविष्टि के स्थान पर "9" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(54) क्रम सं. 612 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (⃞) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(फ) पाइन वुड;
(ब) फोम/ईवीए फोम";

(II) उपाभंध में,-

(क) शर्त सं. 41 के सामने, पैरा 1 के, खंड (ख) में,-

(i) "दस" शब्द के स्थान पर "एक" शब्द रखा जाएगा;
(ii) "सी" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा;

(ख) शर्त सं. 48 के सामने, खंड (ड.) के अंत में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु जहां ऐसा आयातित उक्त माल का विकृति के पश्चात् गैर-प्रयोज्य रूप में निपटान किया जाना है यह स्थिति आपाकर्ता या अंतरिती, आयात के पत्तन पर अधिकारी रहने वाले, यथास्थिति सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क उप आयुक्त को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्राकाबर्न महानिदेशक द्वारा संयुक्त रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि उक्त माल गैर-प्रयोज्य है और निपटान से पहले विकृत हो चुका है, प्रस्तुत करने के अध्यक्ष रहते हुए ऐसे माल के परिषण मूल्य पर 7.5 प्रतिशत की दर से शुल्क अदा कर सकेगा";

(III) सूची 5 में, मद संख्या 14 के सामने प्रविष्टि के स्थान पर, "पॉलिस्टर टेप" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(IV) सूची 14 में मद संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(V) सूची 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(VI) सूची 32 में, मद संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्;
“(9) माही बांसवाड़ा परमाणुविक शक्ति परियोजना – 1 से 4, माही बांसवाड़ा, राजस्थान

(10) कैगा परमाणुविक शक्ति परियोजना – 5 और 6, कैगा स्थल, कर्नाटक

(11) गोरखपुर परमाणुविक शक्ति परियोजना – 3 और 4, जीएचएक्वीवी स्थल, हरियाणा

(12) चुटका परमाणुविक शक्ति परियोजना – 1 और 2, चुटका स्थल, मध्यप्रदेश”;

(फा. सं. 354/3/2019-टीआरयू)

(रुचि विश्व)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 50/2017 – सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. सं. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या 17/2019–सीमा-शुल्क, तारीख 15 जून, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 425(अ), तारीख 15 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई।